

23/12/2024

प्राथमिकी आज पेजी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र  
136 LRA में पेश कर निवेदन किया कि चक 15LLW-8  
खाता सं. 75/75 ताकादी 3-208 है। अराजी प्रार्थी के नाम  
दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त अराजी में प्रार्थी का  
नाम बतौर खातेदार सुखमन्द्रसिंह पुत्र बसन्तसिंह दर्ज है  
जो सही नहीं है। प्रार्थी का सही नाम सुखविन्द सिंह  
पुत्र बसन्त सिंह है तथा इसी अनुसार प्रार्थी का  
सही नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किए जाने का अनुरोध  
प्राचित किया है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बल्लभ  
मथा पैन कार्ड, वोट आईडी, आधार कार्ड पेश किए।  
प्रार्थना पत्र दर्ज कर तहसीलदार हुनुमानगढ़ के तथ्यवार  
रिपोर्ट प्राप्त की। तहसील पर्यांक LRA/पा104 दिनांक 12/11/24  
द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते हुए  
नाम ठुकराती किया जाना उचित होने का अंजन  
किया है। इसलिए प्रा.पत्र खीकार कर तहसीलदार  
हुनुमानगढ़ को अडिश्त किया जाता है कि चक  
15LLW-8 खाता सं. 75/75 में खातेदार सुखमन्द्र सिंह  
की जगह सुखविन्द सिंह दर्ज किया जावे। प्रार्थनापत्र  
का निबन्धन कप्तान है। आदेश सुनाया गया।



सहायक कप्तान  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हुनुमानगढ़